न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 14/215

1. अर्जुन लाल पुत्र गिरधारी जाति मीना निवासी बिजावता ।
2. मृतका कस्तूरी बाई पत्नी रामपाल जाति मीना निवासी बिजावता तहसील पीपल्दा जरिये काममुकामान :–
   2/1. राजाराम पुत्र अर्जुन लाल जाति मीना निवासी बिजावता ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. मुकेश पुत्र रामगोपाल जाति मीना निवासी कोलाना तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
2. कल्याण पुत्र जग्गा जाति मीना निवासी बिजावता तहसील पीपल्दा ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब पीपल्दा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

अपील संख्या : 14/219

1. अर्जुन लाल पुत्र गिरधारी जाति मीना निवासी बिजावता ।
2. मृतका कस्तूरी बाई पत्नी रामपाल जाति मीना निवासी बिजावता तहसील पीपल्दा जरिये काममुकामान :–
   2/1. राजाराम पुत्र अर्जुन लाल जाति मीना निवासी बिजावता ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. मुकेश पुत्र रामगोपाल जाति मीना निवासी कोलाना तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
2. कलयाण पुत्र जग्गा जाति मीना निवासी बिजावता तहसील पीपल्दा ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब पीपल्दा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।

उपस्थित :– 1. श्री फिरोज आब्दी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से दोनों अपीलों में ।
2. श्री हुकम चन्द जैन, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से दोनों अपीलों में।

निर्णय दिनांक: 14.08.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त दोनों अपीलें अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, इटावा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 29.05.2013 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 24.06.2013 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. उक्त दोनों अपीलें एक ही वादग्रस्त आराजी से सम्बन्धित होने से तथा समान पक्षकार होने एवं एक ही वादग्रस्त आराजी से सम्बन्धित होने से उक्त दोनों अपीलों का निर्णय इस एकल निर्णय से किया जा रहा है । निर्णय अलग–अलग पत्रावली में संलग्न किया जावे ।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 मुकेश ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53, 88 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बिजावता तहसील पीपल्दा में खतौनी संख्या 06 पर आराजी खसरा नम्बर 07 रकबा 0.06 हैक्टर, खसरा नम्बर 09 रकबा 1.00 हैक्टर, खसरा नम्बर 11 रकबा 0.30 हैक्टर, खसरा नम्बर 197 रकबा 4.66 हैक्टर, खसरा नम्बर 198ा 0.54 हैक्टर, खसरा नम्बर 203 रकबा 0.21 हैक्टर, खसरा नम्बर 317 रकबा 3.86 हैक्टर कुल 07 किता रकबा 10.63 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि में वादी का 1/3, प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/6, प्रतिवादी क्रम 2 का हिस्सा 1/6, प्रतिवादी क्रम 3 का 1/3 हिस्सा दर्ज है । उक्त आराजी पक्षकारान की संयुक्त खातेदार की होने से पक्षकारान को खेती करने में कई परेशानियॉ होती हैं उक्त भूमि का विभाजन नहीं होने से वादी अपनी भूमि पर सुधार कार्य करवाने में असमर्थ है । वादीगण अपने हिस्से की भूमि का विधिवत विभाजन कराने का अधिकारी है ।

4. अतः वादग्रस्त आराजी का विभाजन वादी एंव प्रतिवादी क्रम 1 से 3 के मध्य किया जाकर वादी को अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी भूमि विभाजित की जाकर वादी का खाता व लगान राजस्व रिकॉर्ड में पृथक दर्ज किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में विभाजन के अनुसार खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादग्रस्त आराजी के किसी भी भू–भाग को विक्रय, रहन, वसीयत एंव अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार से अन्तरण नहीं करावे ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 29.05.2013 के द्वारा वाद का वाद स्वीकार करते हुए वादीगण को वादग्रस्त आराजी में से 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित करते हुए पक्षकारान के मध्य विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित करते हुए राजस्व नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने का आदेश पारित किया ।

6. तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 24.06.2013 के द्वारा पक्षकारान के मध्य विभाजन की अंतिम डिक्री पारित की ।

7. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथिमक डिक्री दिनांक 29.05.2013 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 24.06.2013 से व्यथित होकर प्रतिवादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय को अपना निर्णय पारित करने से पूर्व यह देखना चाहिए था कि दिनांक 26.04.2013 को जब प्रतिवादी क्रम 1 व 3 अपीलान्ट के वकील ने नो इन्स्ट्रेक्शन प्लीड कर दिया था तो उसी समय अधीनस्थ न्यायालय को कोई समुचित आदेश पारित करना चाहिए था । अधीनस्थ न्यायालय को वकील

के नो इन्स्ट्रेक्शन प्लीड के बाद एक बार फिर समुचित सुनवाई व जवाबदेही के लिए पुनः सम्मन से प्रतिवादी कम 1 व 3 यानि अपीलान्ट को सूचना भिजवाया जाना चाहिए था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसा नहीं किया । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय ने अंतिम डिक्री पारित करने से पूर्व विभाजन प्रस्ताव को भली–भांति नहीं देखा क्योंकि विभाजन प्रस्ताव पटवार हल्का द्वारा अपीलान्ट को सूचना दिये बिना मौके पर बुलाये बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए बिना ही तथा जो रकबा व खसरा नम्बर रेस्पोडेन्ट कम 1 को जिस दिशा में दिये गये हैं उन पर रेस्पोडेन्ट कम 1 का कभी कोई कब्जा नहीं रहा । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 29.05.2013 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 24.06.2013 निरस्त फरमाये जावें ।

8. उक्त दोनों अपीलें दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली जवाब में लम्बित थी और अपीलान्टगण के अभिभाषक ने दिनांक 26.04.2013 को नो इन्स्ट्रक्शन प्लीड किया । अधीनस्थ न्यायालय ने इसके उपरान्त अपीलान्ट प्रतिवादीगण से कोई सूचना दिये बिना ही एकतरफा कार्यवाही करते हुए निर्णय पारित कर दिया जबकि विधिक प्रावधानों के अनुसार यदि अभिभाषक नो इन्स्ट्रक्शन प्लीड करते हैं तो न्यायालय के द्वारा पक्षकार को नोटिस दिया जाना अनिवार्य होता है । अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही निर्णय पारित किया गया है । अंतिम डिक्री जारी करने से पूर्व भी अपीलान्ट को आपत्ति पेश करने का अवसर नहीं दिया गया है । राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है । अतः दोनों अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 29.05.2013 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 24.06.2013 निरस्त फरमायी जावें ।

10. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादीगण के उपस्थित नहीं आने पर उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही की है और राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से के अनुसार विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की है । तहसील से बंटवारा प्रस्ताव आने के उपरान्त विधि सम्मत रूप से बंटवारे की अंतिम डिक्री जारी की गई है । अतः दोनों अपीलें सारहीन होने से खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 29.05.2013 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 24.06.2013 बहाल रखी जावें ।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । दिनांक 26.04.2013 को अधीनस्थ की आदेशिका के अनुसार प्रतिवादीगण कम 1 व 3 जो कि प्रकरण में अपीलान्ट हैं के अभिभाषक ने नो इन्स्ट्रक्शन प्लीड किया है । इसके उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट प्रतिवादीगण को नोटिस दिये बिना ही वादी की साक्ष्य लेकर और उनकी बहस सुनकर निर्णय पारित किया है जबकि विधिक प्रावधानों के अनुसार यदि पक्षकार के अभिभाषक द्वारा नॉ–इन्स्ट्रेक्शन प्लीड किया जाता है तो न्यायालय द्वारा सम्बन्धित पक्षकार को नोटिस दिया जाना विधिक रूप से अनिवार्य होता है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रारम्भिक डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है ।

2. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम डिक्री के क्रम में पत्रावली में संलग्न बंटवारा रिपोर्ट का अवलोकन किया गया । बंटवारा रिपोर्ट पटवारी हल्का व आई0एल0आर0 के द्वारा तैयार कर तहसीलदार को प्रेषित की गई है । मौके पर पक्षकारों की उपस्थिति भी रिपोर्ट से प्रमाणित नहीं होती है । अधीनस्थ न्यायालय ने इस बंटवारा प्रस्ताव पर आपत्ति पेश करने हेतु अपीलान्ट को कोई नोटिस जारी नहीं किये गये । इस प्रकार राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना नहीं हुई है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम डिक्री भी त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपील अपीलान्ट संख्या 14/215 एवं 14/219 आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 29.05.2013 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 24.06.2013 दोनों निरस्त किये जाते हैं । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट को जवाबदेही का अवसर प्रदानर करते हुए तनकीयात कायम कर तनकीयात पर उभयपक्ष की साक्ष्य लेकर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से प्राथमिक डिक्री पारित करे एवं राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की की पालना करते हुए तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर नियमानुसार अंतिम डिक्री पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वह दिनांक 15.10.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

14. निर्णय आज दिनांक 14.08.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

14.8.18

(भगवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा